कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी, कुशीनगर।

पत्रांक ———— /जि0का0अधि0/आ0बा0/चयन/2025–26 दिनांक ~~4~~ नवंबर, 2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या– **1/1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025** में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद कुशीनगर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाडी सहायिकाओं की मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा तैयार किये गये विभागीय पोर्टल **upanganwadibharti.in** पर केवल महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनवार विवरण निम्नवत हैं–

क्रम सं0	बाल विकास परियोजना का नाम	आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों का विवरण			
		कुल रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनारक्षित
1	सेवरही	73	18	16	39
2	शहर पडरौना	15	4	5	6
3	विशुनपुरा	94	18	23	53
4	हाटा	139	28	47	64
5	पडरौना	206	41	64	101
6	तमकुहीराज	96	22	35	39
7	कप्तानगंज	71	15	17	39
8	मोतीचक	62	11	17	34
9	खड्डा	162	34	47	81
10	दुदही	87	14	26	47
11	ने0नौरंगिया	71	16	21	34
12	सुकरौली	57	14	15	28
13	फाजिलनगर	66	17	18	31
14	रामकोला	67	17	19	31
15	कसया	73	17	18	38
	योग	**1339**	**286**	**388**	**665**

उपरोक्त पदों का ग्राम पंचायतवार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण तथा अर्हता विभागीय पोर्टल **upanganwadibharti.in** पर अपलोड कर दिया गया है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1– उक्त रिक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थिनी पात्र होंगे और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे।

2– चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–**1/1092245/2025/3313/ 58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025** में वर्णित प्रकिया के अधीन होगी। उपरोक्त शासनादेश को उ0प्र0 शासनादेश की अधिकारिक वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

3– आंगनबाडी सहायिका की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

4– आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 से की जायेगी। अभ्यर्थिनी की जन्म तिथि के संबंध में हाईस्कूल अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होंगी।

5– रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।

6– ग्राम सभा में किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

7– विधवा अभ्यर्थिनी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।

8– तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होगा।

9– आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14.09.2015 (यथा संशोधित) के अनुसार होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14.09.2015 में आय सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0–46080/– तथा शहरी क्षेत्र हेतु रू0–56460/– प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है।

10– निवास व जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

11– ग्राम पंचायतवार/वार्डवार रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण बाल विकास परियोजना कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, जिला कार्यकम कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है।

12– आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ और पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख ऑनलाईन फार्म में किया गया है।

13– कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र आफलाईन या डाक द्वारा प्रेषित किये जाने पर मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14– विज्ञापित पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि 23.12.2025 को मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

15– उपरोक्त पदों पर चयन प्रकिया पूर्णतया पोर्टल से आनलाईन माध्यम से शासनादेश में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार सम्पादित होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

16– एक ही आंगनबाडी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाडी/सहायिका के रूप में नहीं होगी।

17– रिक्तियों की संख्या घट–बढ सकती है, जो वेबसाईट पर प्रदर्शित होगी।

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न तथ्यों का विशेष ध्यान दिया जाय–

1– समस्त प्रकिया ऑनलाईन विभागीय पोर्टल upanganwadibharti.in से होनी है। कोई भी आवेदन किसी भी स्तर पर हार्ड कॉपी में नहीं प्राप्त किया जाना है।

2– ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रमाण–पत्रों के कमांक व शैक्षिक अर्हताओं के सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरती जाय। आवेदक द्वारा अपने आय, जाति तथा निवास प्रमाण–पत्र के आवेदन कमांक, पंजीकरण कमांक, निर्गत तिथि आदि का पोर्टल द्वारा ही ऑनलाईन सत्यापन किया जायेगा ऐसी स्थिति में

Scanned with OKEN Scanner

किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि होने पर अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

3– आंगनबाड़ी सहायिका की चयन की सम्पूर्ण प्रकिया विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के आधार पर पोर्टल से ही होनी है।

(ए०के० दूबे)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
कुशीनगर।

पृष्ठांकन संख्या C-1549 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2– निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
3– जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर
3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
4– समस्त उप जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
5– जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ कि सर्वाधिक पढे जाने वाले एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम शासकीय दर पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।
6– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, कुशीनगर।।
7– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, जनपद कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि सभी रिक्त पदों का आरक्षण सहित विवरण तहसील, विकास खण्ड, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 तथा अपने कार्यालय में चस्पा करें एवं ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर ग्राम प्रधान/समासद के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
8– अधोहस्ताक्षरी कार्यालय/विकास भवन/जिलाधिकारी महोदय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

14/11/25
जिला कार्यक्रम अधिकारी
कुशीनगर

Scanned with OKEN Scanner